न्यायालय, अवर न्यायाधीश प्रथम, जगदीशपुर, आरा(भोजपुर)
राकेश कुमार पंचम्
नंबरी वाद सं0–207 / 2024
सी0आई0एस0नं0–207 / 2024

1. देव कुमार सिंह पिता–स्व0 सदानन्द सिंह
निवासी ग्राम–बुढ़वल, पोस्ट–जगदीशपुर, थाना–जगदीशपुर, जिला–भोजपुर

–वादी

बनाम

1. प्रभावती कुँवर पति स्व0 शिवपूजन वर्मा।
2. विवेकानन्द सिंह वल्द स्व0 शिवपूजन वर्मा

दोनों निवासी ग्राम–बुढ़वल, पोस्ट–जगदीशपुर, थाना–जगदीशपुर, भोजपुर

–प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री तारकेश्वर पाण्डेय
प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री सुरेन्द्र तिवारी एवं योगेन्द्र प्रसाद सिंह

निर्णय तिथि–25.03.2026
उपस्थित–राकेश कुमार पंचम्
सब जज प्रथम, जगदीशपुर,
आरा(भोजपुर)

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद यह घोषित कर दिया जाय कि बंटवारा की एराजी जो अनुसूची–1 में है जो रिभीजनल सर्वे खतियान के दखलवारी कॉलम यानी कैफियत खाना में वादी के पिता सदानन्द सिंह के नाम पर है वह वादी का है एवं रिभीजनल सर्वे खतियान के कैफियत खाना के कॉलम में वादी के पिता के नाम पर 01 एकड़ 99 डिसमिल और प्रतिवादी सं0–1 के पति वो प्रतिवादी सं0–2 के पिता के नाम पर 2 एकड़ 21 डी0 है उसे बराबर बराबर कर दिया जाये, के लिए दाखिल किया गया है।

2. वादपत्र के अनुसूची–1 में वर्णित विवादित भूमि का विवरण निम्न हैः–

मौजा–उतरवारी जंगल महाल, थाना नं0–239, अंचल जगदीशपुर, जिला–भोजपुर		
खाता	खेसरा	रकवा (डी0)
607	672	27
	635	31
	636	29
	599	35
	1705	29
	1706	9
	608	35
	1610	4

Rakesh Kumar
25/03/2026

3. वादपत्र के अनुसूची–'2' में वर्णित विवादित भूमि का विवरण निम्न है:–

प्रखण्ड वो अंचल–जगदीशपुर, मौजा–उतरवारी जंगल महाल, राजस्व थाना नं0–239, जिला–भोजपुर		
खाता	खेसरा	रकवा (डी0)
607	284	33
	673	32
	634	31
	637	30
	594	8
	595	22
	1704	24
	1703	4
	579	33
	1614	4

4. वादी द्वारा दाखिल वादपत्र के अनुसार उनका संक्षिप्त अभिवचन यह है कि वादपत्र के अंत में एक वंशावली दी जाती है जिससे स्पष्ट है कि पूर्वज भरोसी सिंह थे और भरोसी सिंह को दो पुत्र गिरधारी सिंह एवं रामवतन सिंह हैं। रामवतन सिंह के एक पुत्र सदानंद सिंह हुए। सदानंद सिंह के एक पुत्र देवकुमार हुए जो इस वाद के वादी हैं। गिरधारी सिंह को दो पुत्र सूरज प्रसाद सिंह एवं शिवपूजन वर्मा हुए, जो स्वर्गवासी हो गए हैं। शिवपूजन वर्मा के कानूनी वारिस उनकी विधवा पत्नी प्रभावती कुंवर है जो प्रतिवादी सं0–1 है और शिवपूजन वर्मा के एक पुत्र विवेकानंद सिंह हैं जो इस वाद के प्रतिवादी सं0–2 हैं। सूरज प्रसाद सिंह की पुत्री शिवरातो देवी थी, जो स्वर्गवासी हो गयी हैं। इस वादपत्र के साथ बंटवारा के एराजी का विस्तृत वर्णन अनुसूची–1 वो 2 में दिया जाता है यही जमीन बंटवारा की विषयवस्तु है। सभी वादग्रस्त एराजी पक्षकारों की मौरूसी खतियानी हकियती वो दखल की एराजी है, जिसका रिभीजनल सर्वे खतियान पक्षकारों के पूर्वज सूरज प्रसाद सिंह वो शिवपूजन सिंह पिता–गिरधारी सिंह वो सदानंद सिंह पिता–रामवरत सिंह के नाम पर दर्ज है। वंशावली से स्पष्ट है कि खतियान के सभी जमीन में 1/2 हिस्सा वादी देव कुमार का है और 1/2 प्रतिवादी सं0–1 वो 2 का है। पक्षकारों का जो रिभीजनल सर्वे खतियान बना है उसके दखल के कॉलम यानी कैफियत खाना के कॉलम में जो जमीन वादी के दखल में था उसमें वादी के पिता–सदानंद सिंह का नाम दर्ज है और जो जमीन प्रतिवादीगण के हिस्से के आधार पर दखल में था, उसके कॉलम में प्रतिवादी के पूर्वज सूरज प्रसाद वो शिवपूजन

Rakesh Kumar
25/3/2026

वर्मा दर्ज हैं। रिभीजनल सर्वे खतियान वादी वो प्रतिवादीगण के कुल एराजी में कुछ अंतर है। प्रतिवादी सं0–1 के पति वो प्रतिवादी सं0–2 के पिता शिवपूजन वर्मा विधायक थे, जिसके प्रभाव के चलते सर्वे अमलेगानो को डरा धमकाकर कुल रकवा 2 एकड़ 21 डी0 और वादी के पिता के नाम पर 01 एकड़ 99 डी0 जमीन करा लिये जबकि वादी 1/2 का हिस्सेदार है। रिभीजनल सर्वे के आधार पर जो जमीन जिसके दखल कब्जा में है उसके अनुसार प्रतिवादी अपने खतियान के दखल कब्जा के कॉलम यानी कैफियतखाने के कॉलम में दर्ज खाता खेसरा वो रकवा के जमीन का बिक्री अकेले किये हैं, जिसमें रिभीजनल सर्वे, खतियान के खाता सं0–607 खेसरा सं0–284 रकबा–33 डी0, जो खतियान के दखल के कॉलम में सूरज प्रसाद सिंह वो शिवपूजन वर्मा के नाम से है उसे निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–3090 सन् 2007 दिनांक–17.05.2007 को मु0 प्रभावती कुंवर द्वारा रंगलाल सिंह वो शिवलाल सिंह पिता–चंद्रमा सिंह के पक्ष में बय कर दी है। अतएव वादी वादपत्र में दर्ज सिड्यूल–1 एवं 2 में दर्ज एराजी का 1/2 हिस्से की मांग करते हैं।

5. प्रतिवादी सं0–2 विवेकानंद वर्मा द्वारा लिखित कथन दाखिल किया गया है, जो संक्षेप में निम्न प्रकार से है। यह बात सही है कि एराजी तकरारी का रिभीजनल सर्वे खतियान पक्षकारों के पूर्वज सूरज प्रसाद सिंह वो शिवपूजन वर्मा पिता–गिरधारी सिंह वो सदानंद सिंह पिता–रामबरत सिंह के नाम से दर्ज है। अपने लिखित कथन के पारा नं0–10 में प्रतिवादी ने कहा है कि यह बात सही है कि मौरूसी खतियान एराजी में मनमुदालहम 1/2 के हिस्सेदार हैं। पारा नं0–11 में स्पष्ट तौर पर कहा है कि वादपत्र के सिड्यूल–1 एवं 2 की एराजी मौरूसी इजमाली संपत्ति है, जिसमें मनमुदालह का हिस्सा 1/2 है और हिस्सेदारी के मुताबिक न्यायालय द्वारा बंटवारा होना आवश्यक है। रिभीजनल सर्वे खतियान का दखली खाना खानगी बंटवारा के मुताबिक सही नहीं बना है, बल्कि सर्वे खतियान त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण द्वारा बिक्री की गयी सम्पत्ति प्रतिवादीगण के हिस्से से एडजस्ट होगा। लिखित कथन के पारा–18 में प्रतिवादी सं0–2 ने स्पष्ट कहा है कि उभयपक्षों के बीच मौरूसी सम्पत्ति के निस्वत कोई बंटवारा मुस्तकील तौर से नहीं हुआ है। सारी मौरूसी सम्पत्ति इजमाल है, जिसका मुस्तकील तौर से बंटवारा न्यायालय द्वारा आवश्यक है।

Rakesh Ku
25/3/2026

6. प्रतिवादी सं0–1 मु0 प्रभावती कुंवर द्वारा भी दिनांक–22.11.2025 को एक आवेदन देकर यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–2 विवेकानंद सिंह द्वारा दाखिल लिखित कथन को मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

7. दिनांक–22.11.2025 को प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 द्वारा संयुक्त रूप से शपथ पत्र से समर्थित एक आवेदन इस आशय का दाखिल किया जाता है कि मुदई एवं मुदालह का सभी मौरूसी सम्पत्ति में 1/2 के हिस्सेदार हैं तथा नया सर्वे खतियान में किसी के नाम से यदि 1/2 से अधिक दर्ज हो गया है तो भी यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर यह निर्णय लेती है कि उभयपक्षों के बीच 1/2 हिस्सा कर दिया जाये तो हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

8. वादी की ओर से दिनांक–24.11.2025 को इस आशय का आवेदन दाखिल किया है कि वादपत्र में दर्ज अनुसूची में वादी का हिस्सा 1/2 है इसलिए दोनों पक्षकारों के सहमति के आधार पर इस मुकदमा का निष्पादन वादीगण कराना चाहते हैं। दिनांक–24.03.2026 को वादी की ओर से लिखित बहस शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अपने शपथ पत्र के पारा नं0–4 में वादी ने स्पष्ट कहा है कि वादपत्र के एराजी में वादी का हिस्सा 1/2 है तथा प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 है। रिभीजनल सर्वे खतियान में जमीनों का बंटवारा हो गया है और उसके अनुसार खतियान के दखली कॉलम में पक्षकारों के पूर्वजों का नाम दर्ज है लेकिन वादी के हिस्सा में 01 एकड़ 99 डी0 और प्रतिवादी के हिस्से में 02 एकड़ 21 डी0 का सर्वे खतियान बना है। इस तरह वादी का 11 डी0 जमीन प्रतिवादी पर दर्ज हो गया है। उसी को बराबर करने के लिये यह मुकदमा वादी द्वारा दाखिल किया गया है।

9. दिनांक–24.03.2026 को दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने पक्षकारों के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा न्यायालय से निवेदन किये कि स्वीकृति के आधार पर हमारा फैसला कर दिया जाये। प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम वादी के कथनों को स्वीकार करते हैं। इसलिए सहमति के आधार पर निर्णय करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने भी निवेदन किया कि आदेश–12 नियम–6 के आलोक में प्रस्तुत वाद का निष्पादन कर दिया जाए।

Rakesh Kumar
25/3/2026

10. वादी के द्वारा सर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि खाता नं0–607, प्लॉट नं0–284, 672, 673, 579, 594, 595, 608, 1704, 1705, 1706, 599, 634, 635, 636, 637, 1610, 1614, 1703 का दाखिल किया गया है, जो सूरज प्रसाद सिंह वो शिवपूजन वर्मा पिता–गिरधारी सिंह वो सदानंद सिंह पिता–रामवरत सिंह के नाम से तैयार है।

11. सभी पक्ष के अभिवचन, दाखिल दस्तावेज के अवलोकन एवं दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात तथा दोनों पक्ष द्वारा दाखिल शपथ पत्र से समर्थित आवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में किसी वाद बिन्दु के गठन की आवश्यकता नहीं है तथा दोनों पक्ष द्वारा एक दूसरे के

दस्तावेजी तथ्य को स्वीकृत किया जाता है। अतः वादपत्र में वर्णित एराजी को आदेश–12, नियम–6 सी0पी0सी0 के अंतर्गत निर्णित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का वादग्रस्त एराजी में 1/2 का हिस्सा है। वादी वादग्रस्त एराजी में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं उसी तरह दोनों प्रतिवादी प्रभावती कुंवर एवं विवेकानंद सिंह संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

आदेश–12, नियम–6 सी0पी0सी0 के अंतर्गत वाद डिक्री किया जाता है। वादी का हिस्सा वादग्रस्त एराजी में 1/2 है तथा प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/2 है। सभी पक्ष अपना–अपना खर्च वहन करेंगे। कार्यालय उपरोक्त आदेश के आलोक में नियमानुसार डिक्री तैयार करे।

मेरे द्वारा खुले न्यायालय में बोलकर लेखापित,
शुद्धिकृत एवं निर्णित किया गया।

Rakesh Kumar
Sub Judge I
Jagdishpur
25|3|2026

लेखापित
Rakesh Kumar
25|3|2026
(राकेश कुमार (V))
अवर न्यायाधीश प्रथम
जगदीशपुर, भोजपुर